



UPSI 120028752023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785

दीवानी वाद संख्या-470/ 2023

सुकूरू आदि बनाम अमरेन्द्र कुमार आदि।

दिनांक 18.12.2023

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जरिए अधिवक्ता श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादीगण पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनांक 22.01.2024 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनांक 30.01.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6ग²

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग² अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद के निस्तारण तक के लिए भूमि स्थान ग्राम महमदापुर, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर की गाटा संख्या 1049 रकबा 0.283 हे० में वादीगण के शान्तिपूर्ण स्वत्व, अध्यासन, कब्जा व उसकी उपयोगिता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, हस्तक्षेप, कब्जा व निर्माण करने से एवं पेड़ों को काटने से प्रतिवादी संख्या 1, 2 को रोकने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में सूची 11ग से एक किता खतौनी ग्राम महमदापुर, परगना बिसवाँ, तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर, खाता संख्या 568 गाटा संख्या 1049 रकबा 0.2830 हे० जारी कार्यालय तहसीलदार तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर व एक किता खसरा ग्राम महमदापुर, परगना बिसवाँ, तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर खाता संख्या 1049 प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकार सहखातेदार हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र 6ग² पर एकपक्षीय रूप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादीगण पैरवी करे। प्रतिवादीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाये। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग² दिनांक 16.01.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8 ग²

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 8 ग² बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8 ग² स्वीकार किया जाता है। अमीन कमिशनर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अमीन कमिशनर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। कमीशन कार्य हेतु वादीगण आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।